

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण



यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4ए लखनपुर
कानपुर - 208024
दूरभाष : 0512- 582851-53
फैक्स : 0512-2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
CIN-U26961SGC002834

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०,
अलीगढ़।

संदर्भ संख्या /सीडा/एटीपी दिनांक:

विषय: औद्योगिक भूखण्ड संख्या ई-3 एवं ई-4 औ०क्षे० सलेमपुर, जिला- हाथरस के संविलियन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 302 दि. 12.05.2022, 1341 दिनांक 12.7.2022, 1588 दिनांक 08.09.2022, 1800 दिनांक 18.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी मापों के आधार पर औ० क्षे० सलेमपुर हाथरस के औद्योगिक भूखण्ड संख्या ई-03 एवं ई-04 (क्षे० 2000.00 वर्गमी०) को एकीकृत कर भूखण्ड संख्या ई-3/4 (क्षे० 2000.00वर्गमी०) नामित कर, कार्यालय आदेश सं० 1300 -1307/सीडा/एटीपी/का०आ० दिनांक 15.01.2021 के क्रम में निर्धारित सक्षम स्तर द्वारा संविलियन प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के साथ सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

- 12 नव सृजित भूखण्ड का भू-उपयोग यथावत् औद्योगिक रहेगा।
- 13 नव सृजित भूखण्ड के सेटबैक, भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के अनुसार निर्धारित होंगे।
- 14 यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के प्रस्तर 3.3.7 B (iv) के अनुसार भूखण्डों की रेक्टिफिकेशन डीड कराया जाना आवश्यक होगा।
- 15 भूखण्ड के संविलियन मानचित्र जारी करने से पूर्व विज्ञप्ति प्रारूप आपके द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी समाचार पत्र, जो widely circulated हो, में प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं विज्ञप्ति में निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को संकलित करते हुये एवं विज्ञप्ति प्रकाशित समाचार पत्रों की दो-दो प्रति एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। विज्ञप्ति क्षेत्रीय कार्यालय हेतु उपलब्ध विज्ञापन मद के सापेक्ष प्रकाशित करायी जायेगी। उक्त विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आपत्ति/सुझाव के अन्तिमीकरण के उपरान्त भूखण्ड संविलियन का अन्तिम रूप प्राप्त होगा।
- 16 यूपीसीडा के योजना बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन, 2004 के अनुच्छेद 3.3.8 के अन्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव की जनापत्ति आमन्त्रित करने पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसके निराकरण सम्बन्धी समस्त निर्णय आवंटी को मान्य होंगे।
- 17 आप द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संविलियन अनुमोदन पत्र निर्गत करने से पूर्व समस्त देयों/शुल्कों/वर्तमान दर के अनुसार शेष संविलियन शुल्क का भुगतान आवंटी से प्राप्त कर लिया गया है और यदि भविष्य कोई देय/शुल्क रोपित किये जाते है तो वह आवंटी को मान्य होंगे।

औ०क्षे० सलेमपुर, जनपद-हाथरस के औद्योगिक भूखण्ड ई-3 एवं ई-4 के सैद्धान्तिक अनुमोदित संविलियन मानचित्र एवं विज्ञप्ति प्रारूप की प्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

(मीना भार्गव)

महा प्रबन्धक (वा०/नियो०)

पृष्ठांकित संख्या 1256 /सीडा/एटीपी दिनांक: 01-12-2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1 सहायक महाप्रबन्धक (प्र०/सा०), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०,औ०क्षे० अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।
- 2 प्रभारी (कम्प्यूटर), मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि क्षेत्रीय प्रबन्ध द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त संलग्न मानचित्र एवं एवं विज्ञप्ति को वेबसाइट पर 15 दिन तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 3 वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), नि०ख०-4, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, अलीगढ़।
- 4 निजी सचिव (मु०का०अ०/अ०मु०का०अ०) उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा० मुख्यालय कानपुर।

meena
11/10/2022
(मीना भार्गव)

महा प्रबन्धक (वा०/नियो०)

U.P. STATE INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY



UPSIDA Complex
A-1/4, Lakhampur,
Kanpur-208024
Tel. : 0512-582851-53
Fax : 0512-2580797
Website:
www.upsidc.com
CIN-U26961SG002834

Reference No.

/UPSIDA/

Dated:

Notice for Public Objection / Suggestion on Revised Part Layout Plan of Industrial Area Salempur District Hathras including amalgamation of Industrial Plot No.E-3 & E-4 have been amalgamated and thereby creation of a new Plot No. E-3/4 (Measuring -2000.00 Sq.m.).

- 1 (a) The Revised Layout Plan of Industrial Area Salempur including creation of amalgamated of industrial Plot NO E-3 & E-4 of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) situated in District Hathras has been prepared.
- (b) A copy thereof will be available for inspection at the Regional Manager of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, Sector-1, Tala Nagri, Ramghat Road, Aligarh between 10:00 am to 5:00 pm on all working days till the date mentioned in Para 3 hereafter as well as Website: www.upsidc.com
- 2 Objections and Suggestions are hereby invited with respect of the Draft Layout/Amalgamation Plan.
- 3 Objections and Suggestions are shall be sent in writing to the office of Regional Manager, UPSIDA at Industrial Area, Sector-1, Tala Nagri, Ramghat Road Aligarh within 15 days from the date of publication of this notice mentioning subject as "**Regarding Public Objection / Suggestion on Draft Part Layout / Amalgamation Plan for Industrial Area Salempur District Hathras** Any person making the Objections or Suggestions should also give his/her full name & address, Email id and contact number.

(Regional Manager)
U.P. State Industrial Development Authority

